न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीनिधि बी टी, आई.ए.एस.,जिला कलक्टर धौलपुर

अपील मुकदमा नम्बर :– 15/2024 **(जी सी एम एस नम्बर 2024/35)**

उनवानी प्रकरण :–

1–खेमराज उम्र करीब 62 वर्ष । पुत्रगण स्व0 गोकुला
2–नन्दराम उम्र करीब 50 वर्ष । समस्त जातिगण कुशवाह
3–निहालसिंह उम्र करीब 45 वर्ष । निवासीगण ग्राम गोधन का पुरा
4–छोटेलाल उम्र करीब 42 वर्ष । तहसील मंनिया जिला धौलपुर
———————————**अपीलान्टस**

बनाम्

1–ईश्वरदेवी पुत्री तुलसीराम पत्नी प्रेमसिंह जाति कुशवाह निवासी ग्राम गोधन का पुरा विरोंधा तहसील व जिला धौलपुर
2–रामफूल पति स्व0 गंगादेवी पुत्र राजाराम जाति कुशवाह निवासी ग्राम लुधपुरा तिघरा जिला आगरा
3–लक्ष्मी पुत्र स्व0 गंगादेवी व रामफूल । जाति कुशवाह
4–ओमवीर पुत्र स्व0 गंगादेवी व रामफूल । नि0 ग्राम लुधपुरा तिघरा जिला आगरा
5–लोंगश्री पत्नी गोकुला जाति कुशवाह निवासी ग्राम गोधन का पुरा विरोंधा धौलपुर
6–विरमा पुत्री गोकुला जाति कुशवाह निवासी ग्राम गोधन का पुरा विरोंधा धौलपुर
7–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मंनिया ———————**रेस्पोडेण्टस**

अपील विरूद्व नामान्तकरण संख्या 3787 दिनांक 13.05.2024 बॉके ग्राम विरोंधा जरिये तहसीलदार मनियां

उपस्थिति :–

अपीलान्ट की ओर से :– श्री निशान्त भार्गव एडवोकेट
रेस्पोडेण्ट सं0 3 लगा06 की ओर से :– श्री सुवोध्र कुमार शर्मा एडवोकेट
रेस्पोडेण्ट सं0 7की ओर से :– पैरोकार सरकार

निर्णय **दिनांक : 04.12.2024**

प्रस्तुत अपील, अपीलान्ट द्वारा इन तथ्यों के आधार पर पेश की गई है कि रेस्पो0 संख्या–7 तहसीलदार मंनिया ने दिनांक 13.05.2024 को अपीलार्थीगण एवं

रैस्पो संख्या 1,5 व 6 एवं गंगादेवी के पक्ष में नामान्तकरण संख्या 3787 विरासत के आधार पर स्वीकार कर आराजी खसरा नम्बर 1791, 1788, 1789, 1790, 1780, 1815 पर अपीलार्थीगण एवं रैस्पो संख्या 1,5 व 6 एवं गंगादेवी का नाम दर्ज कर दिया। गंगादेवी का निधन हो गया है उनके वारिस रैस्पो0संख्या 2 लगा04 है। अपीलार्थीगण उपरोक्त नामान्तकरण आदेश संख्या 3787 से व्यथित होकर यह अपील इन आधारों पर प्रस्तुत की है कि विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 1791,1788,1789,1790 में गोकुला 1/2 भाग के व खसरा नम्बर 1780, 1815 में गोकुला 1/4 भाग के खातेदार कृषक थे। गोकुला की विरासत का नामान्तकरण पूर्व में जरिये नामान्तकरण संख्या 1769 दिनांक 05.02.2002 अपीलार्थीगण के हक में खोला गया था जिसके विरूद्व रेस्पो0संख्या–1 ईश्वरी व उसकी मॉ रामप्यारी ने न्यायालय उपखण्डाधिकारी धौलपुर के यहॉ एक अपील उनवानी रामप्यारी बनाम ग्राम पंचायत विरोंधा प्रकरण संख्या 4/2016 प्रस्तुत की थी जो कि दिनांक 01.06.2017 को निर्णित की जाकर तहसीलदार धौलपुर को निर्देशित किया गया था कि वह नामान्तकरण संख्या 1769 को निरस्त करें एवं गोकुला के समस्त विधिक उत्तराधिकारियों की जानकारी कर समस्त हितधारियों की सुनवाई कर नामान्तकरण बावत पुनः निर्णय पारित करें। उपरोक्त अपील के विरूद्व अपीलान्ट संख्या–1 द्वारा एक अपील न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर के यहॉ प्रस्तुत की गई जो कि बाद में न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त भरतपुर के यहॉ स्थानान्तरित कर दी गई जो कि आज भी लम्बित है जिसमें आगामी तारीख पेशी 10.07.2024 नियत है जिस कारण अपीलाधीन आदेश पारित नहीं किया जा सकता था इस प्रकार अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय का यह दायित्व था कि वह गोकुला की विरासत के बावत नामान्तकरण तस्दीक किये जाने से पूर्व सभी हितधारियों को सूचित करती एवं उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान करती जिससे उपरोक्त नामान्तकरण के बावत वर्तमान में चल रही सभी कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय के संज्ञान में आती परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई तथा रेस्पोडेन्ट के नाम गुपचुप रूप से नामान्तकरण दर्ज कर दिया जो कि अवैध व निरस्तनीय है। यहॉ यह भी कानूनी तथ्य है कि विवादित आराजीयात बावत अपीलार्थी क्रमांक 1 द्वारा न्यायालय उपखण्डाधिकारी धौलपुर के यहॉ एक वाद वास्ते स्वत्व हित बंटबारा व स्थयी निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया था जिसका उनवान खेमराज बनाम निहालसिह था एवं प्रकरण क्रमांक 24/2009 था जो दिनांक 01.06.2017 को अन्तिम रूप से डिक्री फरमा दिया गया जिसके विरूद्व ईश्वरदेई ने दो अपीलें अपील क्रमांक 38/2017 उनवानी ईश्वरदेई बनाम खेमराज एवं अपील क्रमांक 37/2017 उनवानी ईश्वरदेई बनाम खेमराज पेश की जो आज भी लम्बित है जिसमें आगामी तारीख पेशी 18.07.2024 नियत है। इस प्रकार उपरोक्त पूर्ववर्ती निर्णय व डिक्री दिनांक 01.06.2017 के वजूद में रहते हुये अपीलीधीन आदेश पारित नहीं किया जा सकता था जिस कारण अपीलाधीन आदेश

कानून के विपरीत है तथा निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करते समय इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया कि उससे औहदे में ऊपर न्यायालय द्वारा विवादित आराजीयात बावत निर्णय व डिक्री पारित कर रखी है तो वह उपरोक्त निर्णय व डिक्री के बजूद में रहते हुए अपीलाधीन आदेश किस प्रकार पारित कर सकती थी। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय में अपने से सुपीरियर न्यायालय के निर्णय व डिक्री का उल्लधंन किया है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश विरूद्व कानून है तथा निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलार्थीगण को दिनांक 31.05.2024 से पूर्व नहीं थी क्योंकि अपीलार्थीगण को अपीलाधीन आदेश पारित करते समय सुनवाईका कोई अवसर ही नहीं दिया उन्हें सर्वप्रथम जानकारी तब हुई जब उन्होने अपने निजी कार्य हेतु विवादित आराजीयात की जमाबन्दी की नकल हांसिल की इस पर उन्होने तहसील मंनिया में जानकारी की तो उन्हें अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश की जानकारी प्राप्त हुई जिस पर उन्होने उसी दिन प्रमाणित प्रति प्राप्त की व अपने अभिभाषक से सर्म्पक किया। दिनांक 03.06.2024 से दिनांक 17.06.2024 तक अभिभाषक संघ द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित रखा गया था जिस कारण अपीलार्थीगण के अभिभाषक न्यायालय श्रीमान में उपरोक्त अपील प्रस्तुत नहीं कर सके। जानकारी की तिथि से अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पृथक से प्रस्तुत है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 3787 दिनांक 13.05.2024 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

अपीलान्ट ने अपील के समर्थन में दस्जावेजी साक्ष्य के रूप में नकल नामान्तकरण संख्या 3787 ग्राम विरोंधा, प्रमाणित प्रति जमाबन्दी सम्बत 2076 से 2079 खाता संख्या 106,107,109,110 ग्राम विरोधा, प्रमाणित प्रति अपील मीमो न्यायालय अति0संभागीय आयुक्त भरतपुर अपील कमांक 202/19 उनवानी खेमराज बनाम ईश्वरदेई, प्रमाणित प्रति आदेशिका न्याया0अति0संभागीय आयुक्त भरतपुर अपील कमांक 202/19, प्रमाणित प्रति निर्णय व डिक्री न्याया0 उपखण्डाधिकारी धौलपुर दिनांक 1.6.2017 प्रकरण कमांक 24/2009, प्रमाणित प्रति अपील कमांक 37/2017 न्याया0 आर.ए.ए. भरतपुर, प्रमाणित प्रति ऑडरशीट अपील कमांक 37/2017 न्याया0आरएए भरतपुर, फोटोप्रति अपील मीमो अपील कमांक 38/2017 न्याया0आरएए भरतपुर, फोटोप्रति ऑडरशीट अपील कमांक 38/2017 न्याया0आरएए भरतपुर एंव हस्तलिखित पत्र पण्डा राधेश्याम पेश किये है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को तलब किया गया। रेस्पो0 संख्या–3लगा06 की ओर से श्री सुवोध कुमार शर्मा एडवोकेट ने बकालतनामा पेश किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को रजिस्टर्ड एडी सम्मन जारी किये गये बावजूद सूचना वह उपस्थित नहीं। पत्रावली वहस हेतु नियत की गई।

सर्वप्रथम म्याद के बिन्दु पर दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषक को सुना गया। अपील अपीलान्ट म्याद बाहर पेश की गई है। प्रार्थना पत्र के स्वीकार किये जाने पर रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक को कोई आपत्ति नहीं है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डौन किया जाता है। अपील अपीलान्ट गुणवगुण के आधार पर अपील का निर्णय किया जाना हम उचित समझते है।

बहस अन्तिम विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी वहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 1791,1788,1789,1790 में गोकुला 1/2 भाग के व खसरा नम्बर 1780, 1815 में गोकुला 1/4 भाग के खातेदार कृषक थे। गोकुला की विरासत का नामान्तकरण पूर्व में जरिये नामान्तकरण संख्या 1769 दिनांक 05.02.2002 अपीलार्थीगण के हक में खोला गया था जिसके विरूद्व रेस्पो0संख्या–1 ईश्वरी व उसकी मॉ रामप्यारी ने न्यायालय उपखण्डाधिकारी धौलपुर के यहॉ एक अपील उनवानी रामप्यारी बनाम ग्राम पंचायत विरोंधा प्रकरण संख्या 4/2016 प्रस्तुत की थी जो कि दिनांक 01.06.2017 को निर्णित की जाकर तहसीलदार धौलपुर को निर्देशित किया गया था कि वह नामान्तकरण संख्या 1769 को निरस्त करें एवं गोकुला के समस्त विधिक उत्तराधिकारियों की जानकारी कर समस्त हितधारियों की सुनवाई कर नामान्तकरण बावत पुनः निर्णय पारित करें। उपरोक्त अपील के विरूद्व अपीलान्ट संख्या–1 द्वारा एक अपील न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त भरतपुर के यहॉ प्रस्तुत की गई जो कि आज भी लम्बित है जिस कारण अपीलाधीन आदेश पारित नहीं किया जा सकता था। विवादित आराजीयात बावत अपीलार्थी कमांक 1 द्वारा न्यायालय उपखण्डाधिकारी धौलपुर के यहॉ एक वाद वास्ते स्वत्व हित बंटबारा व स्थयी निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया था जिसका उनवान खेमराज बनाम निहालसिह था एवं प्रकरण कमांक 24/2009 था जो दिनांक 01.06.2017 को अन्तिम रूप से डिक्री फरमा दिया गया जिसके विरूद्व ईश्वरदेई ने दो अपीलें न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेंन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर में अपील कमांक 38/2017 उनवानी ईश्वरदेई बनाम खेमराज एवं अपील कमांक 37/2017 उनवानी ईश्वरदेई बनाम खेमराज पेश की जो आज भी लम्बित है। उपरोक्त पूर्ववर्ती निर्णय व डिक्री दिनांक 01.06.2017 के वजूद में रहते हुये अपीलीधीन आदेश पारित नहीं किया जा सकता था जिस कारण अपीलाधीन आदेश कानून के विपरीत है तथा निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थीगण को अपीलाधीन आदेश पारित करते समय सुनवाई का कोई अवसर ही नहीं दिया गया। नामान्तकरण की कार्यवाही समरी प्रोसिडिग होती है तथा तहसीलदार को राजस्व रिकार्ड में इन्द्रांज न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के आधार पर करने चाहिऐ। जब कोई रेगूलर वाद लम्बित हो तो नामान्तकरण की कार्यवाही नहीं की जानी चाहिऐ। उन्होने अपने तर्को के समर्थन में आर.आर.टी. 2016 पेज 442, आर.आर.टी. 2022 पेज 607, आर.बी.जे. 2009 पेज 428, आर.आर.टी. 2009 पेज 1225 के न्यायिक दृष्टान्त पेश कर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे।

रेस्पोडेन्ट संख्या–3 लगा06 के विद्वान अभिभाषक ने अपनी वहस में अपीलान्टस के कथनों को स्वीकार करते हुये अपील स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की प्रस्तुत वहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अधोपान्त अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि अपीलान्ट के पूर्व पुरूष गोकुला की विरासत का नामान्तकरण संख्या 1769 दिनांक 05.02.2002 अपीलार्थीगण के हक में खोला गया था जिसके विरूद्व रेस्पो0संख्या–1 ईश्वरी व उसकी मॉ रामप्यारी ने न्यायालय उपखण्डाधिकारी धौलपुर के यहॉ एक अपील उनवानी रामप्यारी बनाम ग्राम पंचायत विरोंधा प्रकरण संख्या 4/2016 प्रस्तुत की गई जो दिनांक 01.06.2017 को निर्णित की जाकर नामान्तकरण संख्या 1769 को निरस्त किया गया। उपरोक्त अपील के विरूद्व अपीलान्ट संख्या–1 द्वारा एक अपील न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त भरतपुर के यहॉ प्रस्तुत की गई जो कि आज भी लम्बित है जिस कारण अपीलाधीन आदेश पारित नहीं किया जा सकता था। विवादित आराजीयात बावत अपीलार्थी कमांक 1 द्वारा न्यायालय उप खण्डाधिकारी धौलपुर के यहॉ एक वाद वास्ते स्वत्व हित बंटबारा व स्थयी निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया था जिसका उनवान खेमराज बनाम निहालसिह एवं प्रकरण कमांक 24/2009 था जो दिनांक 01.06.2017 को अन्तिम रूप से डिक्री किया गया जिसके विरूद्व ईश्वरदेई ने दो अपीलें न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेंन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर में अपील कमांक 38/2017 उनवानी ईश्वरदेई बनाम खेमराज एवं अपील कमांक 37/2017 उनवानी ईश्वरदेई बनाम खेमराज पेश की जो आज भी लम्बित है। उपरोक्त पूर्ववर्ती निर्णय व डिक्री दिनांक 01.06.2017 के वजूद में रहते हुये तहसीलदार मंनिया द्वारा अपीलीधीन नामान्तकरण संख्या 3787 ग्राम विरोंध दिनांक 13.05.2024 आदेश पारित किया है जो कानून के विपरीत है। अपीलाधीन आदेश पारित करते समय अपीलार्थीगण को सुनवाई का कोई अवसर ही नहीं दिया गया। अभिभाषक अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आर. आर.टी. 2016 पेज 442 माननीय राजस्व मण्डल द्वारा यह प्रतिपादित किया है कि नामान्तकरण की कार्यवाही समरी प्रोसिंडिग होती है तथा तहसलदार को राजस्व रिकार्ड में इन्द्रांज न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के आधार पर करने चाहिऐ। आर.आर.टी. 2022 पेज 607, आर.बी.जे. 2009 पेज 428, आर.आर.टी. 2009 पेज 1225 पर माननीय राजस्व मण्डल द्वारा यह प्रतिपादित किया है कि जव कोई रेगूलर वाद लम्बित हो तो नामान्तकरण की कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए। उक्त प्रकरण में न्यायालय उप खण्डाधिकारी धौलपुर की पूर्ववर्ती निर्णय व डिक्री दिनांक 01.06.2017 के वजूद में रहते हुये तथा न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेंन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर एवं न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त भरतपुर में प्रकरण विचाराधीन रहते हुये अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 3787 पारित किया गया है जो कानून के विपरीत है जो निरस्त किये जाने योग्य है। इस प्रकार अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त से हम पूर्णतः सहमत है। उपरोक्त विवेचन क आधार पर अपीलान्टस की अपील स्वीकार योग्य पाई जाती है।

अतः आदेश है कि अपील, अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 3787 दिनांक 13.05.2024 वांके ग्राम विरोंधा तहसील मंनिया निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार मंनिया को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विभिन्न न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों के निर्णय उपरान्त नियमानुसार कार्यवाही करें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार मंनिया को भिजवाई जावे। वाद तकमील पत्रावली दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्रीनिधि बी टी)
जिला कलक्टर